तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विजेन्द्र सिंह बनाम धर्मेन्द्र	

8/3/15

पत्रावली पेश हुई। वहस एकतरफा सुनी गई। वकील वादी ने अपने कथन में अवगत कराया है कि आराजी ख.नं. 761, 1341, 1370, 1376, 1456, 1457, 1494, 1495 एवं 1497 कुल किता 9 कुल रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम जमुरा में वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त काश्तकारी खातेदारी की भूमि है। वादी के पिता का देहान्त करीब 35-40 वर्ष पूर्व हुआ था तब वादी नाबालिग होने के कारण आदि के नाम नामान्तरण खोल गया। जब वादी बालिग हो गया तो पटवारी ने गलती से वादी के नाम विजेन्द्र सिंह के स्थान पर मिठ्ठन लिख दिया है जबकि वास्तविक नाम विजेन्द्र सिंह है। जिसके सबूत में वोटर आई डी कार्ड की छाया प्रति, राशन कार्ड की छाया प्रति एवं शपथ पत्र पेश किये हैं जो शामिल हैं। अतः प्रार्थी का नाम मिठ्ठन उ0 कजोड़ी के स्थान पर विजेन्द्र सिंह कजोड़ी करने का श्रम करें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं वहस एकतरफा सुनी गई। पत्रावली में प्रतिवादी नं. 1 लगायत 5 की दिनांक 11/12/14 में एक पक्षीय कार्यवाही हुई है जिससे स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज

[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दर्ज हो गया है। अतः आदेश दिये जाते हैं कि निरंजन s/o कजोड़ी के स्थान पर विजेन्द्र सिंह s/o कजोड़ी किया जावे। तहसीलदार मासलपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश की पालना में निरंजन s/o कजोड़ी के स्थान पर विजेन्द्र सिंह s/o कजोड़ी किया जावे। तहसीलदार मासलपुर को शुद्धिकरण हेतु पत्र जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होकर नत्थी मिसल हो। दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी करौली	[signature] 16-9-? 18-9-?